RTI Act, 2005
Regd. Post/By Special Messenger
<u>Most Immediate/Time Bound.</u>

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी,
सह कार्यकारी निदेशक, पावर ग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड,
B-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय,
नई दिल्ली – 110016

विषयः– सूचना के अधिकार के तहत आर. टी0 आई0 ऐक्ट 2005 में पारित विधेयक जनहित में पारदर्शिता एवं भ्रष्ट्राचार न हो।

महाशय,

उपरोक्त ऐक्ट के संबंधव में सादर कहना है कि आ0टी0आई0 एक्ट प्रयोग सर्वप्रथम 1776 ई0 में स्वीडेन में हुआव था। आर0टी0आई0 ऐक्ट अन्तराष्ट्रीय स्तर पर 1923 ई0 में प्रचलन में है। 2005 में भारत के सर्वोच्च अधिकार के पहल पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आदेश से बना विधेयक के ऐक्ट के तहत उपधारा–8 एवं 9 में उल्लिखित 22 एजेंसियों की सूची हो गई है। फिर भी यदि सूचना हनन भ्रष्ट्राचार के आरोपों या मानवाधिकार के हनन से जुड़ी है, तो उक्त ऐक्ट के तहत सूचना देनी पड़ेगी। प्रपत्र ''क'' के अन्तर्गत आर0टी0आई0 एक्ट की धारा 6(2) में स्पष्ट कहा गया है कि आवेदक से सूचना मांगने का कारण नहीं पुछा जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम इस तथ्य पर आधारित है कि जनता टैक्स देती है इसलिए उन्हें जानने का अधिकार है कि उनका पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है। इसका सरकारी तंत्र किस तरह से कार्य कर रहा है। इसलिए जनता को सरकार के हर पक्ष से सब कुछ जानने का अधिकार है। यदि मुद्रा प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा या न जुड़ा हो।

1974 ई0 में भारत सरकार न्यायपालिका में पारदर्शिता शत प्रतिशत लाने के लिए सदर एस0डी0ओ0 से छीनकर (कौगनिजेन्स पावर) सी0जे0एम0 महोदय को सुपुर्द किया **गया**। क्योंकि उनसे सही ढंग से कानून का उपयोग नहीं हो रहा था। यदि आप हमारे आवेदन का उत्तरः सही समय पर नहीं देंगे तो प्रथम अपीलीय प्राधिकार माननीय केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री महोदय भारत सरकार करेंगे। ये महोदय भी सही समय पर जबाब नहीं देंगे तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त महोदय से करेंगे। इस प्रकार धारा–226 के तहत के तहत उच्च न्यायालय पटना या धारा–32 के तहत उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली जाना पड़ेगा।

विश्वासभाजन
सुधांशु शेखर सॉ

नेशनल आर0टी0आई0 एवार्ड के वरिष्टतम
कार्यकर्त्ता ग्राम+पो0–पड़री, भाया–बनगाँव, जिला–सहरसा।
मो नं0–9661088793

23/12/2020

प्रपत्र-'क'

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आई०डी०सं० (कार्यालय प्रयोग के लिए) ....

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी सह कार्यकारी निदेशक,
(विभाग/कार्यालय) पावर ग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड, B-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, New Delhi-16

1. आवेदक का नाम : सुधांशु शेखर खाँ, नेशनल आर०टी० आई० एवं [illegible] कार्यकर्ता
2. पूरा पता : ग्राम + पोस्ट - पड़री, भाया - बनगाँव, जिला - सहरसा, बिहार, पिनकोड - 852212
3. मांगी गई सूचना का ब्योरा (संक्षेप में) मैं जानना चाहता हूँ कि पावर ग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड भारत सरकार एक उपक्रम के अंतर्गत सहरसा जिला बिहार, कहरा अंचल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पड़री के सुधांशु शेखर खाँ जमीन में टावर क्रम संख्या 14/0 LO, PMO एवं 14/4 LO, 14/5 LO तीनों का जमीन का रकबा लगभग चार कट्ठा जमीन टावर में पड़ता है, जिसका सर्किल रेट (सरकारी दर) एक लाख रुपये कट्ठा है। पावर ग्रिड मिथिलांचल लिमिटेड द्वारा किसानों को भुगतान करने की दर सर्किल रेट का चार गुणा है जबकि 14/3 LO एवं 14/6 का फसल नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा नहीं मिला है। साथ ही एक टावर में 6 कॉलम एवं 6 मीटर लगाकर कुल 36 कॉलम और 36 मीटर, धनरोपण किसान का धान, मुंग, सब्जी फसल एवं मक्का फसल को बर्बाद कर दिया गया है- जिसका रकबा 32 कट्ठा है जो की क्षेत्रीय प्रभारी द्वारा पूछा जाय कि आकलन सही है या गलत है
4. मैं एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।
5. (1) मैंने दस (10) रूपये का ~~नन जुडिशियल स्टाम्प सं०/पोस्टल~~ आर्डर (भुगतान आदेश) सं०/डिमांड ड्राफ्ट सं० 280050 दिनांक 02-11-20 जो कि लोक सूचना पदाधिकारी के पक्ष में भुगतेय है।
   (2) मैं दस (10) रूपये तिथि .... को रसीद सं० .... से विभाग/कार्यालय में भुगतान किया है।
   (3) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरा कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न है।

स्थान सहरसा

दिनांक 14/12/2020

आवेदक का हस्ताक्षर सुधांशु शेखर खाँ

दूरभाष संख्या 9661088793

पत्राचार का पूरा पता ग्राम+पोस्ट-पड़री, भाया- बनगाँव, जिला - सहरसा, बिहार Pin- 852212

नोट : गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का कोई फीस देय नहीं है।

जो लागू नहीं है उसे क्राट दें।

कुड़ि टका कुड़ि टाका वीस रुपिया ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು ഇരുപതു രൂപ बीस रुपये କୋଡିଏ ଟଙ୍କା वीह रुपए विंशती रूप्यकाणि

अपरक्राम्य NOT NEGOTIABLE

SAHARSA H.O. M.O. 02 11 20

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO लो० सू० प०, कार्यकारी निदेशक पावरग्रिड [illegible] लिमिटेड को

बीस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TWENTY ONLY

रुपए 20.00 Rs

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT New Delhi

के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

भुगतान करने वाले कार्यालय की तारीख सहित मुहर PAYING OFFICE STAMP WITH DATE CANCELLING THIS ORDER

सत्यमेव जयते

कमीशन COMMISSION रुपया 1.00 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

सुधांशु शेखर [illegible]
ग्राम + पो० [illegible] पहरी
माया - बनगाँव, जिला -
सहरसा, बिहार, 852212

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

25G 280050